लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1578
उत्तर देने की तारीखः 20.09.2020

अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण

1578. **श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः**
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण की संभावना की नए सिरे से जांच करने और इस संबंध में केंद्र की पहल के आलोक में 17 राज्यों ने इस केंद्रीय प्रस्ताव का विरोध किया है;
(ख) यदि हां, तो इस कदम का समर्थन और विरोध करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;
(ग) विरोध करने वाले राज्यों द्वारा क्या मुख्य कारण सामने रखे गए हैं;
(घ) क्या केंद्र और राज्यों के बीच इस विषय पर हाल ही में कोई बैठक हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;
(ङ) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की भांति 'क्रीमी लेयर' को भी अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण संबंधी केंद्रीय प्रस्ताव में शामिल किया गया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय में कब तक जवाब दाखिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10.12.2004 को पारित संकल्प की एक प्रति के साथ अपना दिनांक 01.01.2005 का पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने संसद में अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे पर विचार करने के लिए अनुरोध किया था। तदनुसार, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण करने के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित एक राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 01.05.2008 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण करने और उप-श्रेणीकरण को समाप्त करने का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करने की सिफारिश की थी। सरकार ने उक्त सिफारिश के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार जानने का निर्णय लिया है। अब तक, 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने उत्तर भेजे हैं। असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य

प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब राज्यों ने अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण करने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने इस मामले में अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है।

(ग): इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों का यह मत है कि उप-श्रेणीकरण करने की बजाए, अनुसूचित जातियों में से सबसे गरीब व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विशेष स्कीमों के माध्यम से उन्हें सशक्तिकृत करने के लिए उपयुक्त कार्य प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

(घ): जी, नहीं।

(ड.): जी, नहीं।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

*****